



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062022-236573
CG-DL-E-14062022-236573

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2594]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2022/ज्येष्ठ 24, 1944

No. 2594]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISHTHA 24, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

का.आ. 2722(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1812(E), तारिक 13 अप्रैल 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में NH220 के कि.मी. 0.000 से कि.मी.35.840 (तिरिग से रायरंगपुर खंड) तक के २-लेन चौड़ीकरण और मजभूत करना, इसके द्वारा ऐसी भूमि अधिग्रहण करने के अपने इरादे के लिए उस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "05 मई 2022" को "सम्बाद ,आजीकाली " और "नई इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-220 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 35.840 (तिरिंग से रायरंगपुर खंड) तक भूमि के खंड के भीतर अनेबलि संरचना के साथ या बिना अधिग्रहण की जाने बलि भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा		जिले का नाम: मयूरभंज			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बहलडा				
	गांव का नाम: बागडेगा				
1	147	सरकारी	रखित	0.0044516	स्कूल अन्ड मेस् ऐझकेय्पन् गौत. आफ ओडिशा, मार्फत ओडिशा सार्कार् गौत. प्रैमैरी स्कूल होता, बगडेगा, एट्- बगडेगा पी.ओ.- बहलदा ()
2	149	सरकारी	रखित	0.0060704	स्कूल अन्ड मेस् ऐझकेय्पन् गौत. आफ ओडिशा, मार्फत ओडिशा सार्कार् गौत. प्रैमैरी स्कूल होता, बगडेगा, एट्- बगडेगा पी.ओ.- बहलदा ()
3	4/1126	निजी	घरबरी	0.0060704	साला माझी, ऍस्/ओ- बिनोद माझी, केस्ट- संताल, एट्- भोगबंदी, पी.ओ.- वेड्-दालिमा, भैआ-बहलदा ()
	गांव का नाम: बाहलदा				
4	2608	निजी	घरबारी	0.0060704	केयलष् चेन्द्रा मोहंत, विपिन बिहारी मोहंत, ऍस्/ओ- गोबर्द्धन मोहंत, केस्ट- कुदुमी ()
			कुल	0.0227	

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th June, 2022

S.O. 2722(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways Number S.O. 1812(E) Dated 13.04.2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for widening and strengthening to two lane with pave shoulder from Km 0.000 to Km 35.840 of N.H.220(Tiring to Rairangpur Section) in the district of MAYURBHANJ in the state of ODISHA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Sambad”, "Ajikali" (Odiya Newspaper) and “The New Indian Express” all dated 05.05.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without falling structure within the stretch of land from Km 0.000 to 35.840 NH220 (Tiring to Rairangpur Section) in the district of MAYURBHANJ in the state of ODISHA.

State: ODISHA District: MAYURBHANJ					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bahalda				
	Village: Bagdega				
1	147	Government	Rakhit	0.0044516	School and Mass Education Govt. of Odisha, Marfat Odisha Sarkar Govt. Primary School Hota, Bagdega, At-Bagdega P.O.- Bahalda
2	149	Government	Rakhit	0.0060704	School and Mass Education Govt. of Odisha, Marfat Odisha Sarkar Govt. Primary School Hota, Bagdega, At-Bagdega P.O.- Bahalda

3	4/1126	Private	Gharabari	0.0060704	Sala Majhi, S/O- Binod Majhi, Caste- Santal, At- Bhogabandi, P.O.- Bad-dalima, Via-Bahalda
	Village: Bahalda				
4	2608	Private	Gharabari	0.0060704	Kailash Chandra Mohanta, Bipin Bihari Mohanta, S/O- Gobardhan Mohanta, Caste- Kudumi, At/P.O- Bahalda
			TOTAL	0.0226628	

[F. No. RO/BBSR/11011/220/ORS/2019-20/618/BPD/3D1]

RAJESH GUPTA, Director